R. M M Law College Dali
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject Family Law

हिन्दू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act 1955)

हिन्दू विवाह अधिनियम के धारा 5 के अन्तर्गत निम्न शर्तों पर विवाह किया जाता है, वैध विवाह के लिए पांच शर्तें अधिनियमित की गयी है।

(1) विवाह के लिए लड़का या लड़की (कोई पक्षकार) जीवित हो।

(2) स्वस्थता — विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार कोई पक्षकार का मानसिक विकृति से न हो। प्रीजायाज्ञिक विधि मान्य सहमति के योग्य हो। शादी के उपरान्त संतान उत्पन्न करने के योग्य हो। पागलपन अथवा मिर्गी के दौरे नहीं पड़ता हो।

आयु — विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

विवाहित लड़का पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। यह कानूनी अपराध माना जायेगा।

अगर पत्नि सात वर्ष से लापता है तो पति को न्यायालय से प्रमाण जारी करके तब दूसरी शादी कर सकता है परन्तु पहली पत्नि लौट आती है या आपत्ति नहीं करती है तो।

विवाह सम्बन्ध जब तक बरकरार है तब तक विवाह के पक्षकारों का यह कर्तव्य होता है कि एक दूसरे को साहचर्य दें किन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें एक पक्षकार को ऐसा करना कठिन हो जाता है ऐसी अवस्था में विधि ~~[illegible]~~ दोनों पक्षकारों को पृथक हो जाने की व्यवस्था करती है पृथक हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को साहचर्य देने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। चूंकि पृथक्करण की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा होती है इसलिये इसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण के उन विभिन्न आधारों का उपबन्ध किया गया है। न्यायालय परिस्थितिवश पृथक्करण की आज्ञप्ति पारित कर सकता है।

Scanned with CamScanner